



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विद्युत वृत्त

आफिस काम्पलेक्स, प्रथम तल हाल सं0-4 सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, लखनऊ

E-mail: upavpelect@gmail.com



पत्र सं0-

411 / M-6 EDP/11/ 35

दिनांक-28/5/25

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार परिषद में विद्युत/यांत्रिक कार्य हेतु अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्मों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो कि टू-बिड प्रणाली के अन्तर्गत ई-प्रोक्योरमेंट सोल्युशन प्रणाली द्वारा खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई निविदा डाउनलोड करने की तिथि	टेक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	विवरण
1	जनपद झांसी में परिषद द्वारा नवविकसित भूमि विकास एवं गृह संस्थान योजना सं0-3, झांसी में 33/11के.वी विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।	321.00	6.42	6000.00+ 18% GST	12 माह	09.06.2025	10.07.2025 11.00 बजे पूर्वान्ह	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड- तृतीय, आफिस काम्पलेक्स, बी- ब्लाक, द्वितीय तल कल्याणपुर, कानपुर

नियम व शर्तें:-

- निविदा प्रपत्र एवं अन्य नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना/शुद्धि-पत्र मात्र उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
- तकनीकी बिड का परीक्षणोपरांत फाइनैन्सियल बिड खोलने की तिथि परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड की जायेगी।

प्रकाशनार्थ नहीं:-

- निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वांछित धरोहर धनराशि का भुगतान केवल RTGS के माध्यम से अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष में निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक निर्धारित समयावधि के भीतर किया जा सकता है। उपरोक्त की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

Detail of RTGS :-

Name of Account Holder	:-	EXECUTIVE ENGINEER, ELECTRICAL DIVISION-III, UPVP, KANPUR.
Name of Bank	:-	BANK OF BARODA BRANCH LAKHANPUR, KANPUR
Account No.	:-	40010100009877
IFSC Code No.	:-	BARB0LAKHAN

- निविदा दाता द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि फर्म के खाते से अथवा फर्म के प्रोपराइटर के खाते से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्राप्त होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि के बाद धरोहर धनराशि का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व कार्य की लागत का 10% (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष में बन्धक हो, को निविदा स्वीकृति प्रपत्र निर्गत होने के 07 दिन के भीतर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

क्रमश:-2

5. फर्म की दरें निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित दरों से 10 प्रतिशत तक कम होने तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्क्योरिटी/परफार्मेंस गारंटी 30प्र0 शासन के शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी.सी. दिनांक 08 जून 2012 एवं तदक्रम में मुख्य अभियंता (म0) के पत्रांक 4196/निविदा/2018 दिनांक 14-09-2018 के अनुसार निविदा खुलने के एक सप्ताह के अंदर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, कानपुर के पक्ष में बन्धक हो, जमा करने के पश्चात् ही निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।
6. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के निष्पादन हेतु ₹0 100.00 मूल्य का नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा स्टाम्प पेपर के मूल्य के सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश पारित होते हैं तो तदनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध के समय ₹0 10.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
7. चूंकि प्रश्नगत कार्य अतिआवश्यक/समयबद्ध है, को प्रत्येक दशा में कार्य के सम्मुख इंगित अवधि में ही पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। कार्य की प्रगति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिए प्रगति का आँकलन प्रत्येक 15 दिनों पर किया जायेगा विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले 15 दिनों के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। उक्त हेतु निविदा दाता को ₹0 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में निविदा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
8. मुख्य अभियंता (म0), 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 2018/ई-31/2020 दिनांक 29-06-2021 के माध्यम से दिये गये निर्देशानुसार " निविदा स्वीकृति के उपरांत फर्म द्वारा अनुबन्ध गठनसम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में फर्म की जमा धरोहर धनराशि के साथ-साथ बी0ओ0क्यू0 से बिलों दरों पर ली जाने वाली अतिरिक्त सिक्क्योरिटी/परफार्मेंस गारण्टी भी जब्त कर ली जायेगी ।
9. समस्त कार्य 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 30प्र0 पी.डब्ल्यू.डी. एवं DVVNL झांसी की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे ।
10. कार्य में प्रयुक्त होने वाली विद्युत सम्बन्धित सामग्रियों की गारण्टीड टेक्निकल पार्टिक्युलर DVVNL झांसी से अनुमोदित करा कर सामग्रियों का निर्माता के परिसर में DVVNL झांसी से निरीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। उक्त में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही कोई समयवृद्धि दिया जाना सम्भव होगा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। निरीक्षण हेतु फर्म को पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. उक्त कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर की गारण्टी विद्युत विभाग को हस्तगन की तिथि के उपरांत 05 वर्षों (As per UPPCL Gulde Lines) की होगी एवं कार्य में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों यथा केबिल, पैनल एवं ब्रेकर इत्यादि की गारण्टी विद्युत विभाग के हस्तगन हेतु उल्लिखित शर्तानुसार निर्धारित अवधि तक होगी। उक्त समयावधि में कोई भी सामग्री खराब होने पर उसे तत्काल बदलने या सही कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिये फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। ।
12. ठेकेदारों/श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
13. निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तों का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध होगा, जिसका ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। फर्मों द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त प्रमाण पत्र निविदा खुलने की तिथि के उपरान्त न्यूनतम एक माह तक वैध होने चाहिये।
14. कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिये निविदादाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
15. निविदादाता द्वारा दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा। यदि दस्तावेजों के फर्जी या गलत होने की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
16. निविदादाता को GST में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ।
17. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिससे किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।

18. बीओओक्यू की दरों में जीओएसटीओ को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जीओएसटीओ नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
19. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
20. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
21. सभी फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य करलें। उक्त निविदा में उल्लिखित कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी प्रकार की समयवृद्धि मान्य नहीं होगी।
22. ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थाई धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में जमा करनी होगी, अन्तर धनराशि जमा न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
23. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर (Below) मानी जायेगी।
24. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
25. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
26. उओप्रओ शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 के अंतर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
27. निविदा खुलने की तिथि को यदि कोई अवकाश पड़ता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर खोली जायेगी।
28. Experience of having successfully similar works during last 7 years ending last day of month previous to the one in which applications are invited should be either of the following:-
 - a. Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost.
 - Or
 - b. Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost.
 - Or
 - c. One similar completed costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost.
29. कोई भी निविदादाता जो उओप्रओ राज्य सरकार अथवा सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज में न हो, द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है।
30. "क" श्रेणी अनुमोदित विद्युत सुरक्षा लाईसेन्स धारक फर्मों द्वारा ही ई-निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है।

(सीओपीओ सिंह)

अधीक्षक अभियन्ता-विओ/याँओ

दिनांक: 28.5.20

पृओसंओ 411 / M-6 ED-III / 31
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (मओ), उओप्रओ आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधिसाशी अभियन्ता विद्युत खण्ड-प्रथम/द्वितीय, उओप्रओ आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
3. नोटिस बोर्ड, विद्युत वृत्त, लखनऊ।
4. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उओप्रओ आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को उक्त निविदा सूचना परिषद वेबसाइट एवं एनओआईओसीओ की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उओप्रओ इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर प्रकाशित कराये।
5. अधिसाशी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उओप्रओ आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि वे प्रश्नगत कार्य से संबंधित ई-निविदा प्रपत्र समयानुसार वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता-विओ/याँओ